डीजी-परिपत्र संख्या-41 /2024

प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002
दिनांकः लखनऊः अक्टूबर 17 ,2024

विषयः विवेचना के उपरान्त विवेचनाधिकारियों द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय में भेजने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश ।

प्रिय महोदया/महोदय,

आप अवगत हैं कि समय समय पर मुख्यालय स्तर से आपराधिक मामलों की समयबद्ध व साक्ष्यपरक विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित करने के सम्बन्ध में पार्श्वांकित परिपत्र के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि जनपदीय स्तर पर उसका पूर्णतयः कड़ाई से अनुपालन नहीं किया/कराया जा रहा है।

डीजी परिपत्र संख्या-22/2024 दिनांक 11.05.2024
डीजी परिपत्र संख्या-06/2021 दिनांक 19.02.2021
डीजी परिपत्र संख्या-01/2019 दिनांक 02.01.2019
डीजी परिपत्र संख्या-59/2016 दिनांक 20.10.2016

रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जनपदीय न्यायालय से एकत्रित की गयी सूचना से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि कतिपय जनपदों के पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट पर बनाये जा रहे अपने हस्ताक्षर के साथ तिथि अंकित नहीं की जा रही है। समय से आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट न भेजने तथा आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट पर पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर के साथ तिथि न अंकित करने के कतिपय दृष्टांत मा0 उच्च न्यायालय के संज्ञान में भी आये है, जिसपर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ सभी विवेचनाधिकारियों/पर्यवेक्षण अधिकाारियों को इस मुख्यालय से निर्गत परिपत्रों में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट में दिनांक सहित हस्ताक्षर का अंकन करने के उपरान्त ही मा0 न्यायालय को प्रेषित करने के सम्बन्ध में अवगत करा दे तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि समस्त पर्यवेक्षण अधिकारी आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय में प्रेषित करने हेतु बनाये गये हस्ताक्षर के साथ तिथि अवश्य अंकित करें। यदि भविष्य में इस प्रकार के दृष्टान्त पुनः प्रकाश में आता है तो दोषी अधिकारियों के साथ-साथ सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारी का दायित्व भी निर्धारित किया जायेगा ।

उक्त निर्देशों को अपना व्यक्तिगत ध्यान देकर सुनिश्चित करें कि अनुपालन में कोई त्रुटि न हो।

भवदीय

17.X.24.

(प्रशान्त कुमार)

1. **समस्त पुलिस आयुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,**
   प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक(क़ानून एवं व्यवस्था), उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
5.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।